Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 22, 2026 (MAGHA 2, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2026

संख्या 02/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम प्रथम फरवरी, 2026 से लागू होंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 31ग के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

"31घ. खुदरा विक्रय कीमत के आधार पर माल के प्रदाय की कीमत.–(1) इस अध्याय के किसी उपबंध में निहित किसी बात के होते हुए भी, नीचे दी गई तालिका के खाना (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल, जो तालिका के खाना (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी अध्याय/शीर्ष/उप–शीर्ष/टैरिफ मद के अधीन आते हैं, के प्रदाय की कीमत, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय कीमत से यथा लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्: —

तालिका

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उप–शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न]
3.	2402	तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट,
4.	2403	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू विकल्प;"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू; तंबाकू सत्त और अर्क (बीड़ी से भिन्न)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:–

कर राशि = (खुदरा विक्रय कीमत X लागू करों की प्रतिशत में कर दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)।

व्याख्या. — इस नियम के प्रयोजनों के लिए, —

(क) "लागू कर" से अभिप्राय है, एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी) या केंन्द्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी) या राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी), जैसा भी मामला हो।;

(ख) "खुदरा विक्रय कीमत से अभिप्राय है, माल पर घोषित अधिकतम मूल्य जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, शुल्क, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ग) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय कीमत घोषित की गई हों, वहां ऐसी खुदरा विक्रय कीमतों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय कीमत माना जाएगा;

(घ) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय कीमत को प्रदाय से पहले, के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय कीमत में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसी परिवर्तित खुदरा विक्रय कीमत को खुदरा विक्रय कीमत माना जाएगा;

(ड़) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय कीमतें घोषित की गई हों, वहां प्रत्येक ऐसी खुदरा विक्रय कीमत उस क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय कीमत होगी, जिससे यह खुदरा विक्रय कीमतें संबंधित है "।"

3. उक्त नियमों में, नियम 86ख में, प्रथम परंतुक में,

(i) खंड (ड़) में मद (iv) में, अंत में विद्यमान ":" चिह्न के स्थान पर, "; अथवा" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) खंड (ड़) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(च) विनिर्माता से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31घ के अधीन विनिर्दिष्ट माल के संबंध में होगी, जिन पर प्रदायकर्ता द्वारा खुदरा विक्रय कीमत के आधार पर कर का भुगतान किया गया है:"

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 2026

No. 02/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the 1st day of February, 2026.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules) after rule 31C, the following rule shall be inserted, namely: —

"31D. Value of supply of goods on basis of retail sale price. -(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value of supply of goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item specified in column (2), of the Table below, shall be deemed to be the retail sale price declared on such goods, less the amount of tax as applicable, namely:-

TABLE

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

(2) The amount of applicable tax referred to in sub-rule (1) shall be determined in the following manner, namely: —

Tax amount = (Retail sale price X tax rate in % of applicable taxes) / (100+ sum of applicable tax rate).

Explanation. — For the purposes of this rule, —

(a) "applicable tax" means Integrated Goods and Services Tax or Central Goods and Services Tax or State Goods and Services Tax or Union Territory Goods and Services Tax as the case may be.

(b) "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess by whatever name called;

(c) where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d) where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(e) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.".

3. In the said rules, in rule 86B, in the first proviso,

(i) In clause (e), in item (iv), for the sign ":" existing at the end, the "; or" sign and word shall be substituted.

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) the registered person, other than a manufacturer, shall be exempted from the provisions of this rule only in respect of goods specified under rule 31D, on which the tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price:".

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

12376—C.S.—H.G.P., Pkl.